

परिशिष्ट-1.1 (भाग-अ)
(संदर्भ: कंडिका-1.1: पृष्ठ 1)
राज्य का रूपरेखा

अ-सामान्य आंकड़े

स.क्र.	विवरण	आंकड़े (छत्तीसगढ़)
1	क्षेत्र	1,35,192 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	2.55 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल) (राष्ट्रीय औसत =21.90 प्रतिशत)	39.9 प्रतिशत
5	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत=73.00 प्रतिशत)	70.30 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (जैसा की वर्ष 2017 में) (प्रति 1000 जीवित बच्चों पर) (राष्ट्रीय औसत=33 प्रति 1000 जीवित बच्चे)	38 प्रति 1000 जीवित बच्चे
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष 2014-18 संपूर्ण भारत का औसत=69.40)	65.20
8	जनसंख्या वृद्धि (2011-2020)	सामान्य राज्य श्रेणी छत्तीसगढ़
		10.98 13.77
9	2019-20 के वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलु उत्पाद (जी.एस.डी.पी)	3,29,180 करोड़

ब-वित्तीय आंकड़े

विवरण		वर्ष 2010-11 से 2018-19		वर्ष 2018-19 से 2019-20	
		सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़	सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़
सी.ए.जी.आर		(प्रतिशत में)			
क	राजस्व प्राप्तियों का	13.65	14.06	2.08	(-)1.88
ख	कर राजस्व का	12.21	11.44	2.12	3.22
ग	करेत्तर राजस्व का	11.19	9.11	23.44	3.00
घ	कुल व्यय का	13.87	15.72	4.09	11.62
ङ	पूँजीगत व्यय का	14.64	14.80	(-)3.86	(-)3.79
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	11.58	15.09	11.81	27.94
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	15.43	21.44	9.48	21.65
ज	मजदूरी एवं वेतन का	10.78	13.73	9.51	22.21
झ	पेंशन का	14.14	14.72	9.74	22.27

(नोट: वित्तीय आंकड़े राज्य शासन के वित्त लेखों पर आधारित हैं)

परिशिष्ट-2.1
(संदर्भ: कंडिका-2.4.1: पृष्ठ 24)
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
भाग अ-प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	46,068(86)	53,685(90)	59,647(86)	65,095(82)	63,869
(i) स्वयं के कर राजस्व	17,075(37)	18,945(35)	19,895(33)	21,427(33)	22,118
कृषि आय पर कर	0	0	0	0	0
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	8,908(52)	9,927(52)	6,450(32)	4,088(19)	3,931(18)
राज्य उत्पाद शुल्क	3,338(20)	3,444(18)	4,054(20)	4,489(21)	4,952(22)
वाहन कर	829(05)	985(5)	1,180(6)	1,205(06)	1,275(06)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	1,185(07)	1,211(6)	1,197(6)	1,108(05)	1,635(07)
भू-राजस्व	364(02)	504(3)	446(2)	488(02)	552(02)
माल एवं यात्री कर	1,040(06)	1,340(7)	478(2)	54(0)	41(0)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0	0	4,387(22)	8,203(38)	7,895(36)
अन्य कर	1,411(08)	1,534(8)	1,703(09)	1,792(08)	1,838(09)
(ii) करेतर राजस्व	5,215(11)	5,669(11)	6,340(11)	7,703(12)	7,934(12)
(iii) केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश	15,716(34)	18,809(35)	20,755(35)	23,459(36)	20,206(32)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	8,062(18)	10,262(19)	12,657(21)	12,506(19)	13,611(21)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	03	02	03	05	04
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	296	173	138	162	257
3 (अ) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	01	00	01	02	00
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	46,367	53,860	59,789	65,264	64,130
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	7,251(14)	5,480(9)	9,652(14)	14,370(18)	19,588
आंतरिक ऋण	7,106	5,098	9,188	13,817	19,308 ¹
शुद्ध लेनदेन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से लिया गया ऋण एवं अग्रिम	145	382	465	553	279
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	53,618	59,340	69,441	79,634	83,718
7. आकस्मिकता निधि की प्राप्तियाँ	0	60	0	0	05
8. लोक लेखे प्राप्तियाँ	55,059	62,694	72,058	76,903	89,910
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	1,08,677	1,22,094	1,41,499	1,56,537	1,73,628
भाग-ख: व्यय/भुगतान					
राजस्व व्यय	43,701(84)	48,165(83)	56,230(84)	64,411(88)	73,477(89)
सामान्य सेवायें	10,409(24)	11,496(24)	12,870(23)	15,280(24)	19,095(26)
समाजिक सेवायें	16,339(37)	21,342(44)	24,372(43)	23,455(37)	26,653(36)
आर्थिक सेवायें	16,053(37)	14,176(29)	17,623(31)	24,781(39)	26,609(36)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	900(02)	1,151(02)	1,365(02)	895(01)	1,120(2)

¹ विशेष आहरण सुविधा के सहित

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
11. पूँजीगत व्यय	7,945(15)	9,471(16)	10,001(15)	8,903(12)	8,566(02)
सामान्य सेवायें	362(05)	188(1.99)	303(3)	255(03)	194(02)
समाजिक सेवायें	1,807(23)	2,461(26)	2,652(27)	1,774(20)	1,912(22)
आर्थिक सेवायें	5,776(73)	6,822(72)	7,046(70)	6,874(77)	6,460(76)
12. ऋण एवं अग्रिम का वितरण	165	273	369	240	56
12(अ) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.49	0.44	1.00	0.25	0.05
13. योग (10+11+12+12(अ))	51,811	57,909	66,600	73,555	82,100
14. लोक ऋण का पूनर्भुगतान	1,250	1,153	1,000	1,146	8,696
आंतरिक ऋण	1,086(87)	983(85)	828(83)	953(83)	8,480(98)
शुद्ध लेनदेन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	164(13)	170(15)	172(17)	193(17)	216(02)
15. आकस्मिकता निधि में पुर्नविनियोजन	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	53,061	59,122	67,600	74,700	99,419
17. आकस्मिकता निधि से भुगतान	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
18. लोक लेखे से भुगतान	54,001	61,149	71,754	76,357	83,719
19. राज्य द्वारा कुल किया गया संवितरण (16+17+18)	1,07,062	1,20,271	1,39,354	1,51,057	1,83,138
भाग ग-घाटे					
20. राजस्व कमी(-)(1-10)/आधिक्य (+)	2,367	5,521	3,417	684	9,609
21. वित्तीय कमी (-)/आधिक्य (+)(4-13)	(-)4,574	(-)4,047	(-)6,810	(-)8,292	(-)17,970
22. प्राथमिक कमी(-)/ प्राथमिक आधिक्य (+)(21+23)	(-)2,425	(-)1,360	(-)3,712	(-)4,640	(-)12,999
भाग घ- अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान	2,149	2,687	3,098	3,652	4,971
24. अर्थोपाय अग्रिम/ओव्हर ड्राफ्ट का उपयोग (दिवस)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग (दिवस)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओव्हर ड्राफ्ट का उपयोग (दिवस)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25. अर्थोपाय अग्रिम/ओव्हर ड्राफ्ट पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,25,163	2,50,882	2,74,042^अ	3,04,063^अ	3,29,180^अ
27. वर्षान्त पर देयतायें	37,741	44,258	52,907	66,750	78,712
28. वर्षान्त पर लंबित प्रतिभूतियां (गांरटियां)	1,988	3,983	3,882	10,769	18,459
29. वर्षान्त पर अधिकतम गांरटियां राशि	14,883	12,641	6,550	19,574	27,995
30. अधूरे परियोजना की संख्या	194	145	110	107	145
31. अधूरे परियोजना में अवरुद्ध पूँजी	5,912	5,937	4,067	4,365	3,355
भाग ड-राजकोषीय स्थिति संकेतक					
I. संसाधन सं					
स्वयं कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07
करेत्तर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02
केन्द्रीय कर हस्तांतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.11	0.12	0.12	0.12	0.10

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
II- व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.23	0.23	0.24	0.24	0.25
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.12	1.08	1.12	1.13	1.29
राजस्व व्यय/कुल व्यय (अनुपात)	0.84	0.83	0.84	0.88	0.89
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय (अनुपात)	0.15	0.16	0.15	0.12	0.10
समाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय (अनुपात)	0.15	0.16	0.15	0.12	0.10
III- राजकोषीय असंतुलों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.01	0.02	0.01	0.00	(-)0.03
राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	(-)0.02	(-)0.02	(-)0.02	(-)0.03	(-)0.05
प्रारंभिक घाटा/आधिक्य/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	(-)0.01	(-)0.01	(-)0.01	(-)0.02	(-)0.04
राजस्व घाटा/आधिक्य/राजकोषीय घाटा (अनुपात)	(-)0.52	(-)1.36	(-)0.50	(-)0.08	(-)0.53
IV- राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय देनदारियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.17	0.18	0.22	0.22	0.24
राजकोषीय देनदारियाँ/राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.82	0.81	0.89	1.03	1.23
V- अन्य राजकोषीय सूचक					
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.09	0.01	0.07	0.02	0.03
वित्तीय परिसंपत्तियाँ/देनदारियाँ (अनुपात)	1.47	1.53	1.48	1.43	1.23

नोट : अ-अग्रिम अनुमान त्व-त्वरित अनुमान प्रा-प्रावधिक अनुमान

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ:कंडिका-3.3.1: पृष्ठ 48)

वर्ष 2019-20 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत महिला केन्द्रित है

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	761-कन्या शिशु परिसर	19.78	0.04	19.82	17.68
2	1206-दिशा दर्शन	1.50	0.00	1.50	1.36
3	2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	41.18	0.00	41.18	21.96
4	2962-बिगड़े वनो का सुधार	121.00	0.00	121.00	130.27
5	3459-महिला खेल-कूद प्रतियोगिता	2.00	0.00	2.00	0.26
6	4060-विविध संस्थाओं को अनुदान	0.70	1.00	1.70	1.59
7	4663-स्पनिंग मिल हेतु अनुदान	0.06	0.00	0.06	0.06
8	4691-कन्याओं को शिक्षण प्रोत्साहन योजना	6.50	0.00	6.50	6.50
9	5534-स्वास्थ्य मितानिन योजना	1.29	0.00	1.29	1.29
10	5551-हाई-स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल प्रदाय	64.50	0.00	64.50	63.00
11	5563-क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण केन्द्र	1.78	0.00	1.78	1.05
12	5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	19.00	0.00	19.00	17.13
13	5753-समारोह हेतु अनुदान	16.35	0.00	16.35	15.71
14	7330-मितानिन कल्याण निधि	101.00	0.00	101.00	50.00
15	7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	67.20	0.00	67.20	67.11
16	7361-सबला योजना	37.49	0.00	37.49	14.01
17	7435-पोषण	38.50	0.00	38.50	17.42
18	7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	306.20	202.11	508.31	489.04
19	7747-महतारी जतन योजना	23.55	6.51	30.06	22.33
20	7765-मुख्यमंत्री अमृत योजना	26.78	11.00	37.78	23.93
21	7800-प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	1.00	0.00	1.00	0.00
22	7807-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	1,723.00	0.00	1,723.00	643.27
23	7875-सुचिता योजना	2.00	4.00	6.00	0.00
24	8977-असंगठित कर्मकार सफाई कल्याण मंडल	10.00	0.00	10.00	4.04
25	8989-ढेका मजदूर, घरेलु कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	15.00	0.00	15.00	7.75
26	9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	776.22	13.10	789.32	624.55
27	9131-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	12.91	0.00	12.91	5.99
28	9944-महिला जागृति शिविर की स्थापना	0.60	0.00	0.60	0.36
योग		3,437.08	237.76	3,674.84	2,247.67

परिशिष्ट: 3.2

(संदर्भ-कंडिका-3.3.2: पृष्ठ-48)

वर्ष 2019-20 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	436- विशेष कोचिंग क्लासेज	0.12	0.00	0.12	0.08
2	717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	164.76	8.34	173.10	117.49
3	1079-खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	4.00	0.00	4.00	1.03
4	1190-ग्रामीण खेल-कूद प्रतियोगिता	5.00	0.00	5.00	0.46
5	1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबंधित चिकित्सालय, रायपुर	102.78	5.00	107.78	84.40
6	1853-ड्राईंग सामग्री का प्रदाय	1.25	0.00	1.25	0.78
7	1915-दंत महाविद्यालय रायपुर	29.20	0.00	29.20	23.68
8	2216- नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	41.18	0.00	41.18	21.96
9	3459- महिला खेल-कूद प्रतियोगिता	2.00	0.00	2.00	0.26
10	3673-राज्य छात्रवृत्ति	339.36	23.79	363.15	295.20
11	5223-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	5.50	0.00	5.50	1.86
12	5428-राज्यस्तरीय खेल पुरस्कार	0.70	0.00	0.70	0.52
13	5429-युवा कल्याण गतिविधि	2.20	0.00	2.20	2.13
14	5551- हाई-स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल प्रदाय	64.50	0.00	64.50	63.00
15	5571-विधार्थी दुर्घटना बीमा योजना	4.10	0.00	4.10	3.68
16	5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	19.00	0.00	19.00	17.13
17	5646-सैनिक स्कूल की स्थापना	22.45	1.39	23.84	4.84
18	5671-बी.पी.एल बुक बैंक योजना	0.50	0.00	0.50	0.47
19	5672- बी.पी.एल छात्रवृत्ति योजना	6.15	6.00	12.15	12.12
20	5904-अ.जा. के छात्रों के लिए पुस्तक आदि का प्रदाय	109.18	120.94	230.12	190.25
21	6047-स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	0.14	0.00	0.14	0.14
22	6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना	1,541.65	0.00	1,541.65	982.18
23	6889-मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना	1.50	0.00	1.50	1.50
24	6913-कुंभकार टेराकोटा क्राफ्ट योजना	2.00	0.00	2.00	1.30
25	6944-पुस्तकालय योजना	1.00	0.00	1.00	1.01
26	6967-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबंधित अस्पताल,बिलासपुर	52.59	0.50	53.09	34.79
27	6997-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पताल, रायपुर	65.81	0.00	65.81	40.11
28	7328-फिजियोथैरेपी महाविद्यालय	2.05	0.00	2.05	1.80
29	7341-आई0आई0आई0टी0 की स्थापना	25.00	0.00	25.00	25.00
30	7361-सबला योजना अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार कार्यक्रम	37.49	0.00	37.49	14.01
31	7363-युवा कैरियर निर्माण	11.66	0.00	11.66	6.62
32	7366-सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना	0.28	0.00	0.28	0.02
33	7367-मॉडल स्कूल	30.76	0.00	30.76	28.84
34	7430-शिल्पी हेतु डिजाईन एवं विकास शिक्षा	0.55	0.00	0.55	0.36
35	7434-कवर्धा मत्सय महाविद्यालय के लिये अनुदान	3.86	1.69	5.55	2.74
36	7435-असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल	38.50	0.00	38.50	17.42
37	7632-युवा क्षमता विकास योजना	9.10	0.00	9.10	3.45
38	7683-मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	110.50	0.00	110.50	40.21
39	7745-छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना	25.00	0.00	25.00	2.09
40	7751-स्वामी विवेकानन्द ज्ञानदीप योजना	7.69	0.00	7.69	3.80

क्र. संख्या	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
41	7867-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	22.14	0.00	22.14	14.06
42	7884-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	70.66	0.00	70.66	38.92
43	7914-कौशल स्वरोजगार योजना	2.24	0.00	2.24	0.00
44	7979-समग्र शिक्षा	1,451.00	400.00	1,851.00	1,816.10
45	8050-छात्रवृत्ति	34.99	0.00	34.99	15.45
46	8076-राज्य के बाहर छात्रों के लिये छात्रवृत्ति	0.07	0.00	0.07	0.04
47	8539-कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना	10.00	0.00	10.00	9.27
48	8899-पशु धन मित्र योजना	3.00	0.00	3.00	2.95
49	8918-विवेकानन्द युवा प्रोत्साहन योजना	10.00	0.00	10.00	9.76
50	8928-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	3.01	1.00	4.01	3.03
51	8935-लाइवलीहुड कालेज परियोजना	22.21	1.00	23.21	10.42
52	8938-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय, राजनांदगाँव	52.69	0.00	52.69	22.77
53	8940-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय, सरगुजा	39.68	3.74	43.41	23.95
54	8950-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय, जगदलपुर	52.43	0.00	52.43	33.79
55	8977-छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सफाई कल्याण मंडल	10.00	0.00	10.00	4.04
56	8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति)	220.34	89.19	309.53	177.84
57	8989-छत्तीसगढ़ ठेका मजदूर, घरेलु कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	15.00	0.00	15.00	7.75
58	9381-बुक बैंक	0.10	0.00	0.10	0.07
59	9805-आदिवासी छात्रों को पुस्तक/स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय	0.83	0.00	0.83	0.75
योग		4,911.43	662.57	5,574.00	4,239.69

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: कंडिका-3.3.4: पृष्ठ-49)

मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाओं का विवरण (प्रत्येक मामले में 1 करोड़ या अधिक) जहाँ संपूर्ण अनुदान का उपयोग नहीं हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	6353-चिराग योजना	0.00	7.00	7.00	0.00
2	6359-मुख्यमंत्री पोषण अभियान	0.00	1.00	1.00	0.00
3	6366-कृषक सहायता	0.00	3.00	3.00	0.00
4	7945-प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान	5.00	0.00	5.00	0.00
5	7946-सोयाबीन उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	10.00	0.00	10.00	0.00
6	7948-टोस अपशिष्ट प्रबंधन	10.00	0.00	10.00	0.00
7	7952-भारत एग्रो खाद्य प्रसंस्करण और इसके अतिरिक्त कार्यक्रम	4.00	0.00	4.00	0.00
8	7953-जलवायु संवेदनशीलता योजना	10.00	0.00	10.00	0.00
9	7957-छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास संस्था	3.00	0.00	3.00	0.00
10	7958-जल जाँच प्रयोगशाला	5.00	0.00	5.00	0.00
11	7959-विभाग की नर्सरी में पौधा निर्माण	20.00	0.00	20.00	0.00
12	7961-गिरोदपुरी समूह नल जल योजना	5.00	0.00	5.00	0.00
13	7963-मुख्यमंत्री चालित संयात्रा पेयजल योजना	5.00	0.00	5.00	0.00
14	7964-राजीव गांधी सेतु जल योजना	2.00	0.00	2.00	0.00
15	7966-राज्य पोर्टल परियोजना	1.48	0.00	1.48	0.00
16	7970-प्लग टाईप यूनिट की स्थापना	3.00	0.00	3.00	0.00
17	7971-कामकाजी महिला आवासीय भवन का निर्माण	6.25	0.00	6.25	0.00
18	7974-अभिसारित आम आदमी बीमा योजना	2.15	0.00	2.15	0.00
19	7975-अभिसारित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना	10.95	0.00	10.95	0.00
20	7980-मुख्यमंत्री युवा स्वावलम्बन योजना	5.00	0.00	5.00	0.00
21	7981-अजायबघर के लिए भवन का निर्माण	1.00	0.00	1.00	0.00
22	7989-चिकित्सा महाविद्यालय परिसर एवं मेकहारा अस्पताल, रायपुर की जल आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करना	1.00	0.00	1.00	0.00
23	7990-चंद्रखुरी कोल्हापुरी समूह नल का जल आपूर्ति	1.00	0.00	1.00	0.00
24	7992-प्रतीकात्मक वन वृक्षारोपण निधि का छत्तीसगढ़ को स्थानांतरण	0.00	500.00	500.00	0.00
योग		110.83	511.00	621.83	0.00

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: कंडिका-3.5.3: पृष्ठ 52)

मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (50 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	वास्तविक	प्रावधानों से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1	सामान्य प्रशासन	322.05	15.36	234.78	-87.27
2	सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	30.58	2.20	15.20	-15.38
3	पुलिस	4,438.07	162.79	4,299.28	-138.80
4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	53.47	30.33	50.08	-3.40
5	जेल	183.12	0.62	156.04	-27.08
7	वाणिज्य कर विभाग	274.90	81.44	288.88	-67.46
8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	901.88	7.79	709.53	-192.35
11	वाणिज्य एवं उद्योग	277.22	16.50	179.40	-97.82
13	कृषि	3,972.10	720.90	1,561.32	-2,410.78
14	पशुपालन विभाग	512.06	7.67	413.57	-98.49
16	मत्स्य पालन	68.53	0.50	58.17	-10.36
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,937.49	167.45	1,922.81	-14.68
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	355.95	6.37	259.24	-96.71
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1,321.17	11.50	677.23	-643.94
26	संस्कृति विभाग	39.44	7.00	36.77	-2.67
28	राज्य विधान मंडल	68.42	0.79	45.43	-22.99
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	583.94	15.06	499.61	-84.32
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	2,696.97	250.11	1,906.11	-790.86
34	सामाजिक कल्याण	99.29	0.00	74.31	-24.98
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	14,737.07	2,297.14	13,020.67	-1716.4
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	361.22	11.22	250.77	-110.45
55	महिला एवं कल्याण विभाग	1050.50	128.24	760.57	-289.92
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत	636.00	0.62	596.82	-39.19
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	4,969.68	836.24	4,419.79	-549.88
65	विमानन विभाग	47.89	3.00	41.86	-6.03
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	241.86	4.04	153.21	-88.65
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	946.24	216.60	387.14	-559.1
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	121.17	8.11	71.39	-49.78
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	708.52	13.60	539.88	-168.64
योग-राजस्व दत्तमत		41,956.80	5,023.19	33,629.90	-8,408.38

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	वास्तविक	प्रावधानों से बचत
पूँजीगत (दत्तमत)					
1	सामान्य प्रशासन	50.07	0.63	16.60	-33.47
12	ऊर्जा विभाग	370.44	40.00	337.67	-32.77
13	कृषि	9.96	3.87	6.70	-3.26
17	सहकारिता	18.80	1.00	0.30	-18.50
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	67.44	1.40	60.88	-6.56
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	281.50	21.10	147.33	-134.17
21	आवास एवं पर्यावरण विकास विभाग	366.42	4.81	193.74	-172.68
23	जल संसाधन विभाग	461.09	9.00	287.37	-173.72
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	853.66	128.07	825.17	-28.49
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2809.47	312.68	2069.74	-739.73
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	345.51	10.00	231.66	-113.85
55	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	22.36	2.50	12.93	-9.43
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1148.73	67.35	620.72	-528.01
65	विमानन विभाग	20.05	50.00	0.00	-20.05
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	668.35	7.23	267.73	-400.62
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	175.74	80.70	75.59	-100.15
	पूँजीगत-कुल दत्तमत	7,669.59	740.34	5154.13	-2515.46
	कुल योग	49,626.40	5763.53	38,784.00	-10,923.80

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ-कंडिका-3.5.5, पृष्ठ-54)

उप शीर्ष की सूची जहाँ कुल बजट प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ (₹10 करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट
1	03-2055-109-8333-सड़क सुरक्षा कोष से व्यय	14.00	0.00	14.00
2	08-2029-797-6753-पर्यावरण निधि का अंतरण	57.82	0.00	57.82
3	10-2406-01-101-7959-विभागीय नर्सरी में पौध तैयारी	20.00	0.00	20.00
4	10-2406-01-105-252-अन्य व्यय अनुग्रह अनुदान आर्थिक सहायता	14.00	0.00	14.00
5	10-2406-01-203-5641-वन प्रबंधन समितियों	35.31	0.00	35.31
6	10-2406-04-103-7992-छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में अंतरण	0.00	500.00	500.00
7	11-2852-80-102-7785-पूँजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता	10.00	0.00	10.00
8	12-2801-80-101-7898-नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन	32.80	0.00	32.80
9	12-2801-80-101-8914-विद्युत कंपनियों की सहायता	25.58	0.00	25.58
10	12-4801-02-190-7498-पूँजीगत व्यय विद्युत पारेषण/उत्पादन/वितरण	47.70	0.00	47.70
11	12-4801-06-800-7899-पम्प फीडर सेप्रेशन स्कीम	10.00	0.00	10.00
12	14-2403-102-7621-नेशनल लाइवस्टॉक मिशन	12.50	0.00	12.50
13	17-6425-108-5055-सहकारी शक्कर कारखाना	13.00	0.00	13.00
14	21-2216-02-190-7444-विकास नगर योजना	10.00	0.00	10.00
15	21-2216-02-190-7670-मुख्यमंत्री आवासीय योजना	10.00	0.00	10.00
16	21-6217-01-800-7883-जलापूर्ति योजना	10.00	0.00	10.00
17	25-2853-02-797-5390-खनिज निधि में अंतरण	300.00	0.00	300.00
18	25-4853-01-004-7794-परिवहन नेटवर्क (रेलमार्ग)	317.45	0.00	317.45
19	27-4202-01-202-5646-सैनिक स्कूल की स्थापना	19.00	0.00	19.00
20	30-2235-60-196-7975-अभिसारित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना	10.95	0.00	10.95
21	30-4515-102-7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	10.00	0.00	10.00
22	30-4515-102-7645-ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई	19.00	0.00	19.00
23	30-5054-04-101-4871 पी.एम.जी.एस.वाई. रोड पर पुलों का निर्माण	20.00	0.00	20.00
24	30-5054-04-337-4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	30.00	0.00	30.00
25	39-2408-01-003-8919-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	14.90	0.00	14.90
26	39-2408-01-102-3229-नागरिक आपूर्ति निगम को खद्यान्न उपार्जन में हुई हानी कि प्रतिपूर्ति	51.00	0.00	51.00
27	40-705-209-7907-कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति	115.52	0.00	115.52
28	41-2408-01-003-8919-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	11.32	0.00	11.32
29	41-2408-01-102-3229-नागरिक आपूर्ति निगम को खद्यान्न उपार्जन में हुई हानी कि प्रतिपूर्ति	37.84	0.00	37.84
30	41-2801-80-101-8914-विद्युत कंपनियों की सहायता	19.44	0.00	19.44
31	41-2852-80-102-5385-नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना	15.00	0.00	15.00
32	41-4202-01-202-1002-1400-विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना	55.00	0.00	55.00
33	41-4202-01-202-1202-1400-विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना	116.03	0.00	116.03
34	41-4701-23-800-3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	10.50	0.00	10.50

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट
35	41-4801-02-190-7498-पूँजीगत व्यय विद्युत पारेषण/उत्पादन/वितरण कम्पनी	36.25	0.00	36.25
36	41-5054-04-101-4871-पी.एम.जी.एस.वाई. रोड पर पुलो का निर्माण	20.00	0.00	20.00
37	41-5054-04-337-4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	30.00	0.00	30.00
38	41-6425-107-5055-सहकारिता चीनी मिल	24.00	0.00	24.00
39	43-2204-104-7473-37 राष्ट्रीय खेल	15.00	0.00	15.00
40	45-5054-05-337-7820-रोड एवं पुलों का निर्माण	10.00	0.00	10.00
41	58-2245-01-101-7710-फसल क्षति हेतु सहायता	30.00	0.00	30.00
42	58-2245-02-106-1467-जिला और अन्य रोड	10.00	0.00	10.00
43	58-2245-02-122-989-क्षतिग्रस्त सिंचाई बाढ़, नियंत्रण निर्माण कार्य के मरम्मत और उनकी पुनः स्थापना	10.00	0.00	10.00
44	58-2245-80-103-4849-राष्ट्रीय आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण	50.00	0.00	50.00
45	64-2408-01-102-3229-नागरिक आपूर्ति निगम को खद्यान्न उपार्जन में हुई हानी कि प्रतिपूर्ति	12.16	0.00	12.16
46	64-4202-01-202-1203-1400-विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना	12.38	0.00	12.38
47	64-4515-102-7759- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन	13.20	0.00	13.20
48	64-4700-10-800-2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य	10.00	0.00	10.00
49	64-4801-02-190-7498-पूँजीगत व्यय विद्युत पारेषण/उत्पादन/वितरण कम्पनी	11.45	0.00	11.45
50	64-6425-108-5055-सहकारिता चीनी मिल	13.00	0.00	13.00
51	65-5053-02-102-4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	20.05	0.00	20.05
52	65-5053-80-800-4043-विमानन संचालनालय	0.00	50.00	50.00
53	67-4059-01-051-3755-राष्ट्रीय सैन्य दल	14.38	0.00	14.38
54	69-2217-80-191-7685-स्मार्ट सिटी	396.00	0.00	396.00
55	75-4700-09-800-311-5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	48.00	0.00	48.00
56	75-4700-10-800-311-5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	10.00	0.00	10.00
57	75-4700-11-800-313-5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	10.00	0.00	10.00
58	79-2210-01-110-7637-राज्य कैसर संस्थान	10.00	0.00	10.00
59	79-4210-01-110-6997-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय, रायगढ़	15.00	0.00	15.00
60	79-4210-01-110-8939-चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव	0.00	76.50	76.50
61	79-4210-01-110-8938-चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंधित चिकित्सा, राजनांदगाँव	17.00	0.00	17.00
62	79-4210-03-105-101-1352-चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर	21.00	0.00	21.00
63	79-4210-03-105-701-1352-चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर	13.09	0.00	13.09
64	81-6217-60-191-7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ	10.00	0.00	10.00
65	CH1- 6003-110-637-उपाय तथा साधक अग्रिम	660.00	0.00	660.00
66	CH1- 6003-110-779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	264.51	0.00	264.51
67	CH2 -2049-01-101-2199-नवीन बाजार ऋण	250.00	0.00	250.00
68	CH2 -2049-01-101-7923-8.11-प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण	89.21	0.00	89.21
योग		3,651.35	626.50	4,277.85

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ: कंडिका-3.5.6: पृष्ठ -54)

वर्ष के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹100 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य	समर्पण	समर्पण रहित बचत
राजस्व (दत्तमत)								
1	सामान्य प्रशासन	322.05	15.36	337.41	234.78	-102.62	94.40	-8.22
3	पुलिस	4438.07	162.79	4600.87	4299.28	-301.59	246.42	-55.17
8	भूमि राजस्व एवं जिला प्रशासन	901.88	7.79	909.67	709.53	-200.15	259.97	59.82
10	वन	1062.49	500.00	1562.49	1361.24	-201.25	199.10	-2.15
11	वाणिज्य एवं उद्योग	277.22	16.50	293.72	179.40	-114.32	114.34	0.02
13	कृषि	3972.10	720.90	4693.00	1561.32	-3131.68	3135.62	3.94
14	पशुपालन विभाग	512.06	7.67	519.73	413.57	-106.16	105.72	-0.44
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1937.49	167.45	2104.94	1922.81	-182.13	215.09	32.96
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	355.95	6.37	362.32	259.24	-103.08	102.97	-0.11
23	जल संसाधन विभाग	608.20	0.00	608.2	497.48	-110.73	110.10	-0.63
24	लोक निर्माण कार्य-सड़क एवं पुल	1321.17	11.50	1332.67	677.23	-655.44	0.00	-655.44
25	खनिज संसाधन विभाग	346.72	0.00	346.72	38.32	-308.4	308.57	0.17
27	स्कूल शिक्षा	4220.46	305.15	4525.61	4417.23	-108.38	143.69	35.31
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2696.97	250.11	2947.08	1906.11	-1040.98	1038.79	-2.19
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2738.31	183.31	2921.62	2821.12	-100.50	100.89	0.39
41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	14737.07	2297.14	17034.21	13020.67	-4013.54	4212.13	198.59
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	361.22	11.22	372.44	250.77	-121.67	121.77	0.10
55	महिला एवं बाल कल्याण	1050.50	128.24	1178.74	760.57	-418.16	417.57	-0.59
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	4969.68	836.24	5805.92	4419.79	-1386.13	1421.44	35.31
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	946.24	216.60	1162.84	387.14	-775.70	775.70	0.00
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	708.52	13.60	722.12	539.88	-182.23	140.58	-41.65
80	त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3178.13	681.76	3859.90	3457.10	-402.80	413.32	10.52
81	नगरीय निकाओं का वित्तीय सहायता	1303.43	705.07	2008.50	1792.24	-216.26	216.25	-0.01
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	631.57	0.00	631.57	491.15	-140.41	137.76	-2.65
	योग	53597.50	7244.77	60842.29	46417.9	-14424.3	14032.1	-392.12

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य	समर्पण	समर्पण रहित बचत
राजस्व (भारित)								
10	वन	10.81	508.01	518.82	13.31	-505.51	8.60	-496.91
	कुल	10.81	508.01	518.82	13.31	-505.51	8.60	-496.91
पूँजीगत (दत्तमत)								
20	यांत्रिकी	281.49	21.1	302.59	147.32	-155.27	155.3	0.03
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	366.42	4.81	371.23	193.73	-177.49	173.1	-4.39
23	जल संसाधन	461.08	9.00	470.08	287.36	-182.71	182.61	-0.11
24	लोक निर्माण कार्य- सड़के और पुल	1434.84	0.00	1434.84	1090.76	-344.07	0.00	-344.07
25	खनिज संसाधन विभाग	378.83	0.00	378.83	45.72	-333.11	333.11	0.00
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	853.66	128.07	981.73	825.17	-156.55	129.24	-27.32
40	आयाकट	117.52	0.00	117.52	1.52	-116.00	116.00	0.00
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2809.45	312.68	3122.14	2069.74	-1052.40	1038.06	-14.34
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	345.51	10.00	355.51	231.66	-123.84	121.86	-1.99
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1148.72	67.35	1216.07	620.71	-595.36	375.75	-219.61
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	668.35	7.23	675.58	267.73	-407.84	5.72	-402.13
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	700.00	0.00	700.00	201.11	-498.88	498.85	-0.03
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशो से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	610.92	0.00	610.92	306.99	-303.92	0.00	-303.93
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	175.74	80.70	256.44	75.59	-180.85	179.72	-1.13
	योग	10352.53	640.94	10993.48	6365.11	-4628.29	3309.32	-1319.02

परिशिष्ट-3.7

(संदर्भ: कंडिका- 3.5.6: पृष्ठ -54)

वर्ष के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹50 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य	समर्पण	समर्पण रहित बचत
राजस्व (दत्तमत)								
13	कृषि	3972.10	720.90	4693.00	1561.32	-3131.68	3135.62	3.94
24	लोक-निर्माण कार्य-सड़के और पुल	1321.17	11.50	1332.67	677.23	-655.44	0.00	-655.44
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	2696.97	250.11	2947.08	1906.11	-1040.98	1038.79	-2.19
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	14737.07	2297.14	17034.21	13020.67	-4013.54	4212.13	198.59
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	4969.68	836.24	5805.92	4419.79	-1386.13	1421.44	35.31
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय कल्याण	946.24	216.60	1162.84	387.14	-775.70	775.70	0.00
		28643.23	4332.49	32975.72	21972.26	-11003.47	10583.68	-419.79
पूँजीगत (दत्तमत)								
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2809.45	312.68	3122.14	2069.74	-1052.40	1038.06	-14.34
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1148.72	67.35	1216.07	620.71	-595.36	375.75	-219.61
	योग	3958.17	380.03	4338.21	2690.45	-1647.76	1413.81	-233.95

परिशिष्ट-3.8
(संदर्भ: कड़िका- 3.5.6 पृष्ठ -54)
माह मार्च के अंत में समर्पण की राशि (₹10 करोड़) अधिक का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य	समर्पण
1	1-सामान्य प्रशासन	407.78	16.16	423.94	275.00	-148.94	130.91
2	3-पुलिस	4505.12	163.81	4668.93	4343.64	-325.29	269.01
3	4-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	59.24	30.33	89.58	50.78	-38.79	24.12
4	5-जेल	183.62	0.63	184.25	156.04	-28.20	28.13
5	6-वित्त	8576.75	300.26	8877.01	9459.78	582.77	80.58
6	7-वाणिज्य कर विभाग	336.72	81.44	418.16	350.07	-68.09	76.18
7	8-भूमि राजस्व एवं जिला प्रशासन	993.51	7.93	1001.44	784.49	-216.95	290.49
8	10-वन	1095.86	1008.02	2103.88	1389.28	-714.60	215.94
9	11-वाणिज्य एवं उद्योग	341.44	16.58	358.02	186.71	-171.31	171.33
10	12-ऊर्जा	2537.01	790.82	3327.83	3183.36	-144.47	144.48
11	13-कृषि	3982.24	724.92	4707.16	1568.26	-3138.90	3142.86
12	14-पशुपालन	540.74	7.74	548.48	420.42	-128.06	127.63
13	15- अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	284.07	0.00	284.07	241.77	-42.30	42.30
14	16-मतस्य पालन	69.28	2.20	71.48	60.61	-10.87	10.86
15	17-सहकारिता	932.34	769.02	1701.36	1588.31	-113.05	112.92
16	18-श्रम	204.73	0.00	204.73	140.83	-63.90	63.67
17	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2005.09	169.29	2174.38	1984.28	-190.10	236.30
18	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	637.59	27.48	665.07	406.68	-258.38	258.30
19	21-भवन एवं पर्यावरण विभाग	565.95	4.81	570.76	332.71	-238.05	231.31
20	23-जल संसाधन	1069.85	9.00	1078.85	785.00	-293.86	293.28
21	25-खनिज संसाधन	725.6	0.00	725.60	84.05	-641.55	641.72
22	26-सांस्कृतिक विभाग	40.94	7.00	47.94	36.77	-11.17	11.72
23	27-स्कूल शिक्षा	4277.1	305.37	4582.47	4448.07	-134.41	169.72
24	29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	683.19	15.21	698.40	568.31	-130.09	131.48
25	30-पंचायत और ग्रामीण विकास	3550.64	378.19	3928.83	2731.28	-1197.55	1168.03
26	31-योजना अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग	42.26	0.00	42.26	29.45	-12.81	12.80
27	32-जनसंपर्क विभाग	186.83	61.04	247.87	233.49	-14.38	14.60
28	33-आदिवासी कल्याण	3997.04	76.82	4073.86	4133.76	59.90	84.92
29	34-सामाजिक कल्याण	99.4	0.00	99.40	74.38	-25.02	24.40
30	36-यातायात	73.27	2.59	75.86	51.32	-24.54	22.66
31	37-पर्यटन	59	0.00	59.00	35.67	-23.33	23.33

क्र.सं	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य	समर्पण
32	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	2745.46	183.31	2928.77	2826.91	-101.86	102.25
33	40-आयाकट	121.89	0.00	121.89	3.59	-118.30	118.23
34	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	17546.68	2609.83	20156.51	15090.46	-5066.04	5250.35
35	43-खेल-कूद युवा कल्याण	53.39	0.00	53.39	13.12	-40.27	40.26
36	44-उच्च शिक्षा	741.43	13.57	755.00	745.52	-9.48	54.03
37	45-लघु सिंचाई कार्य	427.27	10.01	437.28	303.81	-133.46	131.47
38	46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	22.10	0.00	22.10	7.44	-14.66	14.66
39	47-तकनीकी शिक्षा एवं श्रम शक्ति योजना	398.21	11.22	409.43	254.41	-155.02	155.01
40	54-कृषि खोज एवं शिक्षा	161.50	10.00	171.50	158.00	-13.51	13.51
41	55-महिला एवं बाल कल्याण	1072.85	130.75	1203.60	773.55	-430.05	429.50
42	56-ग्रामीण उद्योग	117.01	0.00	117.01	92.75	-24.26	24.27
43	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत	636.20	0.62	636.82	596.82	-40.00	72.24
44	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	6118.40	903.60	7022.00	5040.51	-1981.49	1797.20
45	65-उड्डयन विभाग	67.95	53.00	120.95	41.86	-79.08	79.02
46	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	266.59	4.05	270.64	156.59	-114.04	114.44
47	69-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	946.23	216.61	1162.84	387.14	-775.70	775.70
48	71-सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी	128.99	158.12	287.11	221.39	-65.72	65.72
49	75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	700	0.00	700.00	201.12	-498.88	498.85
50	79-चिकित्सा शिक्षा	884.30	94.30	978.60	615.47	-363.13	320.33
51	80-त्रि स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3303.13	681.77	3984.90	3581.47	-403.42	413.95
52	81-नगरीय निकाओं को वित्तीय सहायता	1716.48	783.07	2499.55	2266.29	-233.26	233.26
53	82-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	736.57	0.00	736.57	596.15	-140.41	137.19
54	CH1 -ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	4753.99	111.24	4865.23	5113.33	248.10	31.40
55	CH2 -लोक ऋण	2906.50	0.00	2906.50	8695.03	5788.53	629.03
	योग	89637.32	10951.73	100589.06	87917.30	-12671.70	19757.85

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: कंडिका-3.5.7, पृष्ठ-56)

उप शीर्ष जहाँ विनियोग लेखे में विचलन के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान विवरण	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष स्पष्टीकरण की आवश्यकता	स्पष्टीकरण प्राप्त हुए
1	1-सामान्य प्रशासन	44	25	13
2	2-सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	12	5	2
3	3- पुलिस	39	23	8
4	4-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	22	15	5
5	5-जेल	04	4	2
6	6-वित्त विभाग	32	21	0
7	7-वाणिज्य कर विभाग	27	13	3
8	8-भूमि राजस्व एवं जिला प्रशासन	34	16	3
9	9-राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	06	5	3
10	10-वन	76	46	11
11	11-वाणिज्य एवं उद्योग	40	18	2
12	12-ऊर्जा	40	10	6
13	13-कृषि	88	48	35
14	14-पशुपालन विभाग	46	25	0
15	15-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	22	11	5
16	16-मत्स्य पालन	17	5	0
17	17-सहकारिता	19	9	6
18	18-श्रम	17	12	0
19	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	67	39	5
20	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	101	32	23
21	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग	22	16	13
22	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	05	3	2
23	23-जल संसाधन विभाग	106	46	33
24	24-लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल	43	34	0
25	25-खनिज संसाधन विभाग	13	6	3
26	26-सांस्कृतिक विभाग से संबंधित खर्चे	28	14	8
27	27-स्कूल शिक्षा	73	38	30
28	28-राज्य विधायिका	05	5	1
29	29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	33	24	13
30	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	48	24	12
31	31-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	10	5	0
32	32-जनसंपर्क विभाग	50	5	0

क्र.सं	अनुदान विवरण	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष स्पष्टीकरण की आवश्यकता	स्पष्टीकरण प्राप्त हुए
33	33-आदिम जाति कल्याण	19	16	3
34	34-सामाजिक कल्याण	41	12	0
35	35-पुर्नवास	03	3	1
36	36-यातायात	17	9	0
37	37-पर्यटन	04	3	3
38	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	33	12	7
39	40-आयाकट	06	5	3
40	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	505	215	116
41	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य	16	13	1
42	43-खेल एवं युवा कल्याण	17	12	10
43	44-उच्च शिक्षा	34	13	10
44	45-लघु सिंचाई कार्य	16	11	4
45	46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	04	4	4
46	47-तकतीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजक विभाग	39	26	10
47	49-अनुसूचित जाति कल्याण	03	2	1
48	50-बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	01	1	0
49	51-धार्मिक ट्रस्ट और बन्दोबस्ती	10	5	3
50	53-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों के वित्तीय सहायता	14	4	4
51	54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	05	2	2
52	55-महिला एवं बाल कल्याण	61	36	6
53	56-ग्रामीण उद्योग	35	18	9
54	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत	56	28	6
55	60-जिला उपयोजनाएँ से संबंधित खर्च	02	2	0
56	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	366	133	61
57	65-विमानन विभाग	03	3	3
58	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	31	16	5
59	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	192	73	0
60	68-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	39	15	0
61	69-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	17	7	6
62	71-सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	31	18	17
63	75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	22	18	18
64	76-लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	6	6	0
65	79-चिकित्सा शिक्षा विभाग	61	48	0
66	80-त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	53	21	13
67	81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	79	28	13
68	82-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	28	16	10

क्र.सं	अनुदान विवरण	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष स्पष्टीकरण की आवश्यकता	स्पष्टीकरण प्राप्त हुए
69	83-अनुसूचित जनजातियो उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	19	6	6
70	CH1 –ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	14	9	1
71	CH2-लोक ऋण	70	27	13
	योग	3161	1498	616

परिशिष्ट-3.10

(संदर्भ: कंडिका-3.5.8: पृष्ठ-57)

वर्ष 2001-01 से 2018-19 के लिए प्रावधान के ऊपर आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/ विनियोग	अनुदान/विनियोग की संख्या	आधिक्य की राशि
2000-01	11 अनुदान	2,14,23,24,33,34,60,71,80,82 और 83	10.21
	2 विनियोग	6 और 24	
2001-02	14 अनुदान	6,14,15,17,23,24,30,33,45,54,60,67,71 और 83	115.90
	2 विनियोग	16 और 25	
2002-03	8 अनुदान	10,15,24,33,37,45,58 और 82	114.59
	2 विनियोग	20 और 67	
2003-04	4 अनुदान	12,33,40 और 67	591.12
	2 विनियोग	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा एवं 6	
2004-05	4 अनुदान	15,24,67 और 81	133.36
	5 विनियोग	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा, लोक ऋण 6,10 एवं 42	
2005-06	4 अनुदान	4,15,24 और 39	23.27
	2 विनियोग	6 और 23	
2006-07	4 अनुदान	4,24,67 और 82	5.13
	1 विनियोग	33	
2007-08	3 अनुदान	23,33 और 60	15.99
	3 विनियोग	13,24 और 36	
2008-09	9 अनुदान	6,23,24,40,67,75,76,80 और 82	115.26
	1 विनियोग	23	
2009-10	10 अनुदान	3,6,22,23,24,25,49,64,76 और 80	216.77
	5 विनियोग	3,12,13,43 और 67	
2010-11	22 अनुदान	1,2,6,7,8,9,12,18,23,25,29,30,39,40,45,49,56,57,58,75,82 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	293.78
	6 विनियोग	लोक ऋण 1,20,23,29 और 36	
2011-12	24 अनुदान	1,2,6,7,15,17,18,21,22,23,27,29,34,40,43,45,47,50,53,55,66,80,81 और 83	498.09
	1 विनियोग	29	
2012-13	2 अनुदान	40 और 45	0.96
	2 विनियोग	6 और 55	
2013-14	3 अनुदान	06,12 और 60	178.96
	3 विनियोग	06,14 और 27	
2014-15	4 अनुदान	06,19,33 और 80	833.54
	2 विनियोग	06 और लोक ऋण	
2015-16	3 अनुदान	6,12 और 50	98.24
	2 विनियोग	41 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	
2016-17	2 अनुदान	06 और 50	0.92
	3 विनियोग	06,55 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	
2017-18	3 अनुदान	6,49 और 50	2.24
	3 विनियोग	14,33 और 55	
2018-19	2 अनुदान	6 और 50	1.19
	4 विनियोग	6,14,33 और 67	
योग			3261.83

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ:कंडिका-3.5.8 पृष्ठ-58)

वर्ष 2019-20 में मुख्य शीर्ष का विवरण जहाँ आधिक्य हुआ है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य
1	2	2053	जिला प्रशासन	0.95	0.60	1.55	1.71	0.16
2	4	2013	मंत्रिमंडल	3.08	4.36	7.44	8.81	1.38
3	6	2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ	4,923.16	300.00	5,223.16	6,632.59	1,409.44
4	6	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.00	0.00	0.00	5.20	5.20
5	7	2030	टिकट और पंजीकरण	122.55	81.44	203.99	204.49	0.50
6	7	2058	लेखन सामग्री और छपाई	0.02	0.00	0.02	0.03	0.01
7	19	2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ	2.30	0.00	2.30	5.38	3.08
8	23	2701	मध्यम सिंचाई	262.83	0.00	262.83	405.18	142.35
9	24	5053	नागरिक उद्‌डयन पर पूँजीगत परिव्यय	1.05	0.00	1.05	1.68	0.63
10	33	2202	सामान्य शिक्षा	3,870.97	76.82	3,947.79	4,038.45	90.66
11	41	4851	ग्राम एवं छोटे उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
12	44	2202	सामान्य शिक्षा	729.01	13.56	742.57	745.40	2.84
13	67	3054	सड़क एवं पुल	-185.32	0.00	-185.32	-46.29	139.03
14	67	5053	नागरिक उद्‌डयन पर पूँजीगत परिव्यय	-0.35	0.00	-0.35	0.00	0.35
15	67	5054	सड़क एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय	-66.18	0.00	-66.18	0.00	66.18
16	80	2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	579.34	46.68	626.02	629.02	3.00
17	CH1	6003	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	2,745.11	0.00	2,745.11	8,479.52	5,734.41
18	CH1	6004	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	161.39	0.00	161.39	215.51	54.12
19	CH2	2049	ब्याज भुगतान	4,489.00	111.24	4,600.24	4,840.55	240.31
योग				17,638.90	634.69	18,273.59	26,167.26	7,893.69

परिशिष्ट-3.12

(संदर्भ: कंडिका-3.6.1, पृष्ठ-58)

उप-शीर्ष (योजना), जहाँ पूरा व्यय मार्च 2020 में किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखे के शीर्ष(उप शीर्ष तक)	केवल मार्च के दौरान 100 प्रतिशत व्यय
1	17	2425-107-101-5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान	92.13
2	41	5275-101-102-7861-संचार क्रांति योजना	76.00
3	41	2425-107-102-5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान	70.02
4	80	2853-800-101-6299-ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	69.86
5	CH2	2049-101-6403-7.28-राज्य विकास ऋण 2027	36.40
6	15	2853-800-103-6299-ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	34.27
7	41	4515-102-702-7759 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबन मिशन	27.00
8	19	2210-200-101-6362-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबन मिशन	25.00
9	64	5275-101-103-7861-संचार क्रांति योजना	24.00
10	82	2853-800-102-6299-ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	23.59
11	64	2425-107-103-5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान	22.11
12	41	2210-200-102-6362-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबन मिशन	19.00
13	30	4515-102-701-7759-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबन मिशन	18.00
14	12	4810-101-101-7897-प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना	16.56
15	19	2210-200-101-6363-मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता अनुदान	10.00
16	41	2406-105-802-5231-लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	9.37
17	41	2210-200-102-6363-मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता अनुदान	7.60
18	80	2515-101-8391-त्रि-स्तरीय पुरस्कार	7.00
19	04	3454-800-6399-जनगणना का कार्य	6.63
20	64	2210-200-103-6362-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबन मिशन	6.00
21	17	2425-107-101-8654-राज्य/जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामिण विकास बैंक को सहकारी बैंक में विलय	5.00
22	30	4515-102-101-7658-सांसद आदर्श ग्राम योजना	5.00
23	30	4515-102-101-7659-विधायक आदर्श ग्राम योजना	4.85
24	24	5054-337-101-7818-इंजीनियरिंग खरीद एवं निर्माण	4.45
25	39	6408-190-311-8545-नाबार्ड सहायता एवं गोदाम निर्माण	4.19
26	47	2230-3701-7955-जीवन निर्वाह के लिये प्रशिक्षण	4.00
27	71	3275-800-101-8922 मुख्यमंत्री सुशासन अहयेतावृत्ति	3.21
28	64	2225-190-103-3185-अनुसूचित जाति सहकारी वित्त विकास निगम की स्थापना	3.20
29	41	6408-190-312-8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	3.19
30	64	5054-337-103-7818-इंजीनियरिंग खरीद एवं निर्माण	2.61
31	10	4406-101-701-5538-एकीकृत वन सुरक्षा संरक्षण योजना	2.43
32	21	4217-51-101-7416-13 ^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त अनुदान	2.43
33	64	2210-200-103-6363-मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना	2.40
34	71	3275-800-101-7612-एकीकृत ई-खरीद परियोजना	2.38
35	47	2203-1101-7745-छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना	2.09

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखे के शीर्ष(उप शीर्ष तक)	केवल मार्च के दौरान 100 प्रतिशत व्यय
36	79	4210-110-701-6997-चिकित्सा महाविद्यालय और संबंधित अस्पताल, रायगढ़	1.87
37	41	4215-101-102-8908-नवीन नगरीय आवर्धन जल प्रदाय योजना	1.85
38	64	2215-193-103-6862-लवण जल प्रदाय योजना	1.75
39	66	4225-102-701-7605-अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय विकास योजना	1.68
40	41	4202-103-702-7438-राज्य कौशल विकास मिशन	1.44
41	07	4059-52-1470-जिला कार्यपालिका स्थापना	1.19
42	41	2230-3702-7955-जीवन निर्वाह के लिये प्रशिक्षण	1.15
43	64	6408-190-313-8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	1.01
44	64	2230-3103-7955-निर्वाह के लिए प्रशिक्षण	1.00
45	41	4406-101-702-5538-एकीकृत वन (सुरक्षा) संरक्षण योजना	0.91
46	42	5054-337-102-7818-इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्सन	0.85
47	64	4406-101-703-5538-एकीकृत वन (सुरक्षा) संरक्षण योजना	0.84
48	41	2225-102-102-6870-अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध बाबत	0.80
49	56	4851-103-101-6769-भारतीय हैंडलुम प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना	0.75
50	13	2401-119-101-8638-राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	0.72
51	34	2235-105-801-2245-निषेध कार्यक्रम	0.68
52	64	2215-193-103-8625-कुरा जलापूर्ति योजना	0.62
53	41	2203-105-802-2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएँ	0.60
54	66	4225-190-101-5096-राष्ट्रीय पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को अंशपूजी	0.60
55	67	2210-105-4220 शिक्षा-चिकित्सा महाविद्यालय	0.55
56	01	4059.51-101-4485-सामान्य प्रशासन विभाग-भवन	0.53
57	40	4705-210-101-2823 फील्ड चैनल्स का निर्माण	0.52
58	41	2210-200-102-8649-मुख्यमंत्री नगरीय स्वास्थ्य कार्यक्रम	0.50
59	27	2202-106-101-6944-पुस्तकालय योजना	0.50
60	81	2853-800-101-7611-गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का नगरीय निकायों के लिए अंतरण	0.49
61	41	2202-106-102-6944-पुस्तकालय योजना	0.38
62	15	2202-197-103-2952-बालिकाओं के लिये पोशाक	0.33
63	64	2210-200-103-8649 मुख्यमंत्री नगरीय स्वास्थ्य कार्यक्रम	0.30
64	10	4406-101-3877 क्षेत्रीय वन मंडल	0.30
65	67	2216-53-2631-पुलिस प्रशासन	0.22
66	41	4225-190-102-5025-छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सहकारी वित्त विकास निगम को अंशपूजी	0.20
67	64	2403-101-313-7471-नाबार्ड योजनांतर्गत पशुधन एवं कुक्कुट विकास हेतु अनुदान	0.20
68	58	2245-102-2661-पेयजल आपूर्ति	0.18
69	27	4202-202-101-3858 लोक शिक्षण संचालनालय	0.18
70	29	2014-105-701-6356-फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट और पोस्को	0.17
71	80	2515-196-8210-पंचायत अधिकारियों का प्रशिक्षण	0.16
72	80	2515-197-8210-पंचायत अधिकारियों का प्रशिक्षण	0.16
73	34	2235.1-101-6969-सब्सिडी योजना का उन्नयन	0.14
74	29	4070-800-9057-विधि एवं विधायी कार्य	0.13
75	10	4406-101-2786-प्रादेशिक संभाग (क्षेत्रीय वृत्त)	0.13
76	67	2059-53-3859-लोक सेवा आयोग	0.12
77	64	4210-110-103-6967-चिकित्सा महाविद्यालय और संबंधित अस्पताल, बिलासपुर	0.10

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखे के शीर्ष(उप शीर्ष तक)	केवल मार्च के दौरान 100 प्रतिशत व्यय
78	11	2852-1-101-5452-निवेश प्रचार बोर्ड की स्थापना	0.10
80	67	4059-1-101-3300-सर्कल की स्थापना	0.10
79	66	4225-190-101-7288-राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को अंशपूजी	0.10
81	35	2235-200-3135-भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित नये व्यक्ति का पुर्नवास	0.08
82	80	2515-198-8210-पंचायत अधिकारियों का प्रशिक्षण	0.08
83	03	4055-800-279-अभियोजन संचालनालय	0.07
84	43	4202-102-101-5226 मूलभूत सुविधाओं को विकास-स्टेडियम	0.06
85	68	4059-51-802-7307-विशेष अधोसंरचना विकास योजना	0.06
86	64	4225-190-103-5025-छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सहकारी वित्त विकास निगम को अंशपूजी	0.06
87	08	4059-52-456-भू-अभिलेख और समझौता, आयुक्त का कार्यालय	0.06
88	36	5055-800-3565-मुख्यालय स्थापना	0.06
89	03	4055-800-2710-प्रधान सेनानी कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय	0.06
90	20	4215-1-101-2715-प्रशासन	0.05
91	26	2205-101-797-रिजर्व फंड एवं जमा खाता में/से स्थानान्तरण	0.05
93	67	2403-800-6781-पशुपालन विभाग भवन	0.05
95	80	2405-101-101-7756-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)	0.05
92	56	2851-103-101-7885-हथकरघा	0.05
94	68	4202-202-1002-7284-छात्रावास/आश्रम भवन का निर्माण	0.05
96	41	2210-101-102-1104-ग्वार्डर रोग नियंत्रक	0.04
97	41	2403-101-312-7471-नाबार्ड योजनांतर्गत पशुधन एवं कुक्कुट उद्यमिता विकास हेतु अनुदान	0.04
98	34	2235-101-6927-स्थानीय स्तर पर समाज को सहायता	0.03
99	56	2851-103-101-7624-सी.एफ.सी-हथकरघा की स्थापना	0.03
100	67	2403-800-2553 पशु चिकित्सा उपचार और पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम	0.02
101	34	4235-101-101-79-अंधो, बहरो एवं गुंगो के लिये विधालय एवं संस्थान	0.02
102	67	4059-51-101-2449-न्याय प्रशासन (न्यायालय भवनों की मरम्मत)	0.02
103	44	2202-107-3754-एकीकृत छात्रवृत्ति	0.01
104	24	5054-337-101-8716 केन्द्रीय सड़क निधि	0.01
105	41	2403-106-102-7734-राज्य बकरी उद्योग विकास योजना	0.01
106	07	2039-1-6734-विभागीय रासायनिक प्रयोगशाला	0.01
107	26	2205-103-101-2832-फोटोग्राफिक सैल	0.01

परिशिष्ट-4.1

(संदर्भ: कंडिका 4.2, पृष्ठ-66)

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मुख्य शीर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	मुख्य शीर्ष/ विभाग का नाम	2016-17 तक		2017-18		2018-19	
		उपयोग प्रमाण पत्र की संख्या	राशि	उपयोग प्रमाण पत्र की संख्या	राशि	उपयोग प्रमाण पत्र की संख्या	राशि
1	2202-सामान्य शिक्षा	1	0.01	0	0.00	7	5.92
2	2203-तकनीकी शिक्षा	0	0.00	12	54.07	0	0.00
3	2216-आवास	1	*0.00	2	119.58	17	1,927.97
4	2217-शहरी विकास	0	0.00	5	7.19	75	843.04
5	2230-श्रम एवं रोजगार	0	0.00	0	0.00	2	1.52
6	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	0	0.00	8	0.8	5	0.53
7	2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ	0	0.00	1	6	0	0.00
8	2401-फसल-कृषि कर्म	0	0.00	3	4.32	2	1.61
9	2402-भूमि एवं जल संरक्षण	0	0.00	0	0.00	1	4.36
10	2403-पशुपालन	0	0.00	4	1.69	0	0.00
11	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	0	0.00	1	9.72	0	0.00
12	2702-लघु सिंचाई	0	0.00	0	0.00	1	0.01
13	2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग	0	0.00	0	0.00	11	9.08
14	3275-अन्य संचार सेवाएँ	0	0.00	9	25.83	11	37.60
15	3604-स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	30	48.24	0	0.00	47	661.77
योग		32	48.25	45	229.20	179	3493.41

*उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि ₹19,000.00

परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ: कंडिका 4.3, पृष्ठ-68)

31 जनवरी 2020 तक की लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विभागों के नाम	वर्ष	लंबित विस्तृत आकस्मिक देयक	राशि
2029	भू-राजस्व	2017-18	01	0.01
2045	वस्तु तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	2017-18	01	*0.00
2054	खजाना तथा प्रशासन	2019-20	01	**0.00
2202	सामान्य शिक्षा	2019-20	01	0.03
2203	तकनीकी शिक्षा	2019-20	02	6.35
2230	श्रम तथा रोजगार	2018-19	01	@0.00
		2019-20	07	3.86
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2017-18	16	0.21
		2018-19	65	0.83
		2019-20	102	1.02
2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	2018-19	05	0.02
2401	फसल-कृषि कर्म	2018-19	09	0.11
		2019-20	49	1.68
2403	पशुपालन	2018-19	02	0.01
		2019-20	03	0.01
2405	मछली पालन	2018-19	09	0.09
		2019-20	15	0.35
2406	वन एवं वन्य प्राणी	2018-19	01	0.01
		2019-20	02	#0.00
2425	सहकारिता	2019-20	05	184.26
2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2019-20	01	2.42
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2018-19	01	\$0.00
2701	मध्यम सिंचाई	2017-18	01	%0.00
2851	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	2018-19	01	^0.00
		2019-20	05	0.12
2852	उद्योग	2018-19	02	0.07
		2019-20	07	0.12
योग			315	201.59

*वि.आ. राशि ₹17,91,000, ** वि.आ. राशि ₹9,790.00, @ वि.आ. राशि ₹500.00, # वि.आ. राशि ₹16,600.00, £ वि. आ. राशि ₹29,227, % ₹4,190 और ^ वि. आ. राशि ₹9,790.00.

परिशिष्ट-4.3

(संदर्भ: कडिका 4.9, पृष्ठ-74)

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज मुख्य शीर्षवार प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क0 सं0	मुख्य शीर्ष	शब्दावली	कुल प्राप्तियां	वर्ष 2019-20 के दौरान लघु शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज किये गये प्राप्तियों	कुल प्राप्तियों का लघु शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज किये गये प्राप्तियों का प्रतिशत
1	0023	होटल प्रप्ति कर	0.63	0.33	52.38
2	0051	लोक सेवा आयोग	8.23	5.11	62.09
3	0055	पुलिस	21.55	14.68	68.12
4	0056	जेल	8.06	5.40	67.00
5	0058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	5.97	5.43	90.95
6	0059	लोक निर्माण कार्य	45.98	44.28	96.30
7	0211	परिवार कल्याण	0.03	0.03	100.00
8	0217	शहरी विकास	53.65	53.68	100.06
9	0220	सूचना तथा प्रसार	0.55	0.55	100.00
10	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2.61	2.61	100.00
11	0408	खाद्य भंडारण तथा भांडागार	1.62	1.37	84.57
12	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	1.27	1.25	98.43
13	0702	लघु सिंचाई	287.54	306.12	106.46
14	0851	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	6.18	3.30	53.40
15	0852	उद्योग	6.41	6.49	101.25
योग			450.28	450.63	

परिशिष्ट: 4.4

(संदर्भ: कडिका 4.9, पृष्ठ 74)

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज मुख्य शीर्षवार व्ययों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	शब्दावली	कुल व्यय	वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्य शीर्ष -800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किये गये व्यय.	मुख्य शीर्ष -800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किये गये व्यय का प्रतिशत
1.	2075	विविध सामान्य सेवाएँ	0.24	0.24	100.00
2.	2853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	166.77	128.41	77.00
3.	3275	अन्य संचार सेवाएँ	71.39	71.39	100.00
4.	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.62	2.62	100.00
5.	4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	3.19	1.69	52.98
6.	4700	वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	387.39	251.41	64.90
7.	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	58.28	41.88	71.86
8.	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	142.09	100.00	70.38
9.	5055	सड़क यातायात पर पूंजीगत परिव्यय	6.00	6.00	100.00
योग			837.97	603.64	737.12

परिशिष्ट: 4.5

(संदर्भ: कंडिका 4.14, पृष्ठ-79)

राज्य सरकार द्वारा 01 अक्टूबर 2020 के अनुसार लंबित लेखे वाले सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सार्वजनिक उपक्रमों का नाम	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण हुये है	लंबित लेखों की अवधि	वर्ष के दौरान लंबित लेखे में राज्य सरकार द्वारा अनुदान तथा प्रत्याभूति			
				पूँजीगत अनुदान	अन्य	प्रत्याभूति	कुल
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड	2018-19	2019-20	0.00	29.21	0.00	29.21
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2018-19	2019-20	181.75	4,651.13	3,255.00	8,087.88
3.	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20	0.00	4,135.60	1,000.00	5,135.60
4.	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम	2018-19	2019-20	0.00	1.00	429.30	430.30
5.	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20	0.00	152.97	0.00	152.97
6.	छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागार निगम	2018-19	2019-20	0.00	8.39	0.00	8.39
7.	छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम	2018-19	2019-20	0.00	0.55	0.00	0.55
8.	पुलिस हाऊसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	2018-19	2019-20	39.85	3.25	0.00	43.10
9.	छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20	94.52	0.00	0.00	94.52
10.	छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20	0.00	103.78	3,427.28	3,531.06
11.	छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (सीएफएस सहित)	2018-19	2019-20	0.00	43.50	0.00	43.50
12.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2019-20	28.63	0.00	0.00	28.63
13.	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2019-20	0.00	13.00	0.00	13.00
14.	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2016-17	2017-18 से 2019-20	12.00	0.00	0.00	12.00
योग				356.75	9,142.38	8,111.58	17,610.71

परिशिष्ट: 4.6

(संदर्भ: कंडिका 4.15, पृष्ठ-80)

चोरी, गबन एवं शासकीय संपत्ति/सामग्री की कमी के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग के नाम	चोरियों के प्रकरण		गबनों के प्रकरण		सरकारी संपत्तियों/वस्तुओं की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	उच्च शिक्षा	12	10.42	2	0.62	3	2.51	17	13.55
2	कला एवं संस्कृति	1	0.81	0	0.00	1	0.00	2	0.81
3	जिला प्रशासन	1	0.68	5	0.80	1	3.00	7	4.48
4	लेखा एवं कोषालय प्रबंधन	3	0.19	1	7.26	3	11.81	7	19.26
5	तकनीकी शिक्षा	6	2.31	0	0.00	7	50.30	13	52.61
6	ग्रामीण विकास	4	1.08	3	0.20	14	16.70	21	17.98
7	पंचायत एवं सामाजिक कल्याण	0	0.00	0	0.00	2	1.00	2	1.00
8	विद्यालय शिक्षा	21	12.93	19	156.26	19	67.10	59	236.29
9	पुलिस	35	6.56	5	19.45	193	31.11	233	57.12
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4	0.29	2	0.31	7	0.85	13	1.45
11	भू-राजस्व (तहसील विभाग)	2	0.50	11	1.87	2	0.18	15	2.55
12	पशु चिकित्सा सेवा	8	1.80	1	0.10	172	13.73	181	15.63
13	सहकारिता	0	0.00	1	96.26	0	0.00	1	96.26
14	महिला एवं बाल विकास	1	3.50	0	0.00	2	0.31	3	3.81
15	डेयरी विकास	1	0.20	1	0.18	0	0.00	2	0.22
16	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (रेशम) विभाग	0	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00
17	विधि एवं विधायी विभाग	8	0.39	2	8.83	1	0.07	11	9.29
18	श्रम एवं रोजगार	10	3.90	0	0.00	4	0.75	14	4.65
19	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0	0.00	1	0.08	3	0.15	4	0.23
20	फसल-कृषि कर्म	1	0.24	1	2.98	5	0.55	7	3.77
21	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3	1.14	4	20.48	8	1.23	15	22.85
22	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ	6	1.11	9	34.84	4	9.91	19	45.86
23	वानिकी तथा वन्य प्राणी	1	5.71	0	0.00	952	941.01	953	946.72
24	लोक कल्याण विभाग	2	0.24	0	0.00	476	10,269.69	478	10,269.93
25	जल संसाधन विभाग	7	1.25	0	0.00	16	550.18	23	551.43
26	वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय	1	0.05	0	0.00	0	0.00	1	0.05
27	समाहर्ता कार्यालय	0	0.00	1	0.07	1	0.30	2	0.37
28	खनन एवं धातु-कर्म उपक्रम विभाग	0	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00
29	स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	0	0.00	1	189.90	0	0.00	1	189.90
30	ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएँ	0	0.00	0	0.00	2	4.41	2	4.41
31	भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	0	0.00	0	0.00	4	1.06	4	1.06
योग		138	55.30	70	540.33	1,904	11,977.91	2,112	12,573.54

परिशिष्ट: 4.7

(संदर्भ: कंडिका 4.15, पृष्ठ-80)

31 मार्च 2020 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरण

(₹ लाख में)

क्र० सं०	विभाग के नाम	प्रकरणों की संख्या एवं राशि						योग
		05 वर्षों तक	05 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष से उपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उच्च शिक्षा	3 (0.08)	4 (2.14)	4 (8.08)	2 (2.51)	1 (0.13)	3 (0.61)	17 (13.55)
2	कला एवं संस्कृति	1 (0.00)	—	—	—	—	1 (0.81)	2 (0.81)
3	जिला प्रशासन	—	—	1 (0.20)	2 (0.88)	1 (0.16)	3 (3.24)	7 (4.48)
4	लेखा एवं कोषालय प्रबंधन	—	—	3 (7.33)	—	1 (11.77)	3 (0.16)	7 (19.26)
5	तकनीकी शिक्षा	1 (0.15)	3 (46.79)	8 (5.42)	—	—	1 (0.25)	13 (52.61)
6	ग्रामीण विकास	2 (0.21)	—	2 (0.75)	3 (1.46)	4 (12.67)	10 (2.89)	21 (17.98)
7	पंचायत एवं सामाजिक कल्याण	1 (1.00)	—	1 (0.00)	—	—	—	2 (1.00)
8	विद्यालय शिक्षा	5 (0.28)	5 (180.98)	3 (7.14)	7 (22.77)	—	39 (25.12)	59 (236.29)
9	पुलिस	126 (17.85)	57 (5.73)	30 (4.79)	11 (11.32)	3 (1.10)	6 (16.33)	233 (57.12)
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	13 (1.45)	13 (1.45)
11	भू-राजस्व (तहसील)	—	—	3 (0.98)	—	—	12 (1.57)	15 (2.55)
12	पशु चिकित्सा सेवाएँ	50 (3.80)	51 (5.55)	62 (3.40)	13 (2.19)	—	5 (0.69)	181 (15.63)
13	सहकारिता	—	—	—	—	—	1 (96.26)	1 (96.26)
14	महिला एवं बाल विकास	—	—	—	—	—	3 (3.81)	3 (3.81)
15	डेयरी विकास	—	—	—	1 (0.20)	—	1 (0.02)	2 (0.22)
16	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (रेशम) विभाग	1 (0.00)	—	—	—	—	—	1 (0.00)
17	विधि एवं विधायी विभाग	6 (0.36)	2 (0.00)	1 (1.04)	1 (0.10)	1 (7.79)	—	11 (9.29)
18	श्रम एवं रोजगार	2 (1.02)	2 (0.50)	—	5 (2.71)	—	5 (0.42)	14 (4.65)
19	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	—	—	—	2 (0.12)	—	2 (0.11)	4 (0.23)
20	फसल-कृषि कर्म	—	3 (0.16)	—	4 (3.61)	—	—	7 (3.77)
21	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1 (0.17)	1 (0.00)	1 (19.58)	—	—	12 (3.10)	15 (22.85)
22	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ	1 (0.00)	2 (9.90)	—	1 (30.75)	5 (2.27)	10 (2.94)	19 (45.86)
23	वानिकी तथा वन्य प्राणि	29 (21.76)	35 (82.27)	50 (98.73)	109 (144.37)	206 (411.77)	524 (187.82)	953 (946.72)

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	लोक कल्याण विभाग	15 (564.32)	338 (8,769.39)	83 (807.27)	42 (128.95)	—	—	478 (10,269.93)
25	जल संसाधन विभाग	9 (358.97)	5 (6.00)	9 (186.46)	—	—	—	23 (551.43)
26	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय	—	1 (0.05)	—	—	—	—	1 (0.05)
27	समाहर्ता का कार्यालय	—	—	—	—	—	2 (0.37)	2 (0.37)
28	खनन एवं धातु-कर्म उपक्रम विभाग	1 (0.00)	—	—	—	—	—	1 (0.00)
29	स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	—	—	—	—	—	1 (189.90)	1 (189.90)
30	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ	—	1 (4.00)	1 (0.41)	—	—	—	2 (4.41)
31	भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	4 (1.06)	—	—	—	—	—	4 (1.06)
योग		258 (971.03)	510 (9,113.46)	262 (1151.58)	203 (351.93)	222 (447.66)	657 (537.87)	2,112 (12,573.53)

परिशिष्ट: 4.8

(संदर्भ: कंडिका 4.15, पृष्ठ-80)

वर्ष 2019-20 के दौरान सूचित किये गये हानि प्रकरणों में वसूली

(राशि ₹ में)

क्र० सं०	वसूली प्रकरणों की संख्या	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	प्रकार गबन/हानि/चोरी	वर्ष	हानि की राशि	वसूली गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	68	2051	छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग	हानि	2005	3,16,000	3,16,000
2.	68 अ	2401	कृषि	हानि	2016	2,880	2,880
3.	67	2701	जल संसाधन विभाग	हानि	2012	3,540	3,540
4.	89	2055	पुलिस	हानि	2018	6,855	6,855
5.	95	2055		हानि	2019	27,581	27,581
6.	60	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणि	हानि	1990	5,1844	4,985
7.	61	2406		हानि	1994	23,340	23,340
8.	62	2406		हानि	1999	52,533	52,533
9.	63	2406		हानि	1992	5,309	5,309
10.	64	2406		हानि	1992	56,757	56,757
11.	65	2406		हानि	1992	16,540	16,540
12.	66	2406		हानि	1994	6,392	6,392
13.	69	2406		हानि	2018	21,62	21,62
14.	70	2406		हानि	2017	7,145	7,145
15.	71	2406		हानि	2018	2,301	2,301
16.	72	2406		हानि	2017	1,150	1,150
17.	73	2406		हानि	2017	2,517	2,517
18.	74	2406		हानि	2017	7,638	7,638
19.	75	2406		हानि	1996	3,100	3,100
20.	76	2406		हानि	1999	2,635	2,635
21.	77	2406		हानि	2018	4,192	4,192
22.	78	2406		हानि	1996	3,631	3,631
23.	79	2406		हानि	2017	2,481	2,481
24.	80	2406		हानि	2017	2,682	2,682
25.	81	2406		हानि	2018	13,503	13,503
26.	82	2406	हानि	2018	3,808	3,808	
27.	83	2406	हानि	2017	10,992	10,992	
28.	84	2406	हानि	2018	2,265	2,265	
29.	85	2406	हानि	2017	3,651	3,651	
30.	86	2406	हानि	2018	1,732	1,732	
31.	87	2406	हानि	2017	26,036	26,036	
32.	88	2406	हानि	2017	2,532	2,532	
33.	90	2406	हानि	2019	2,050	2,050	
34.	91	2406	हानि	2019	61,336	61,336	
35.	92	2406	हानि	2019	3,600	3,600	
36.	93	2406	हानि	2019	21,346	21,346	
37.	94	2406	हानि	2019	74,845	74,845	
38.	96	2406	हानि	2019	21,346	21,346	
39.	97	2406	हानि	2019	3,600	3,600	
40.	98	2406	हानि	2019	61,336	61,336	
योग						8,98,042	8,78,324